संख्या /XI /06/56(66) 2003

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 13 फरवरी, 2007

विषयः– टी0डी0ई0टी0 के अन्तर्गत हाईड्रम स्थापना हेतु राज्यांश को वर्ष 2006–07 में अवमुक्त का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक –2194/5–लेखा/टी0डी0ई0टी0/2006–07 दिनांक 25–9–2006 भारत सरकार के शासनादेश संख्या –5–3/2002 टी0ई0 दिनांक 9–1–2006, के सदर्भ एवं शासनादेश संख्या –960/XI /2004 56(66)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी0डी0ई0टी0 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल हेतु हाईड्रम की स्वीकृत यूनिटो हेतु राज्यांश के रूप में अवशेष धनराशि रू0 15.75 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 11.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2. उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार के केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने /प्राप्त धनराशि की पुनर्भरण कराने के पश्चात् ही स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

3. उक्त धनराशि का आवंटन वर्तमान नियमों/ओदशों तथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नही किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत /गाइडलाईन्स के अनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भारत सरकार /राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय। धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

5– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का समस्त दाहित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का होगा।

6– कार्य करते समय मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूलस/डी0जी0एस0 एण्ड डी अथवा टैन्डर/कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–3007 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

8– योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के मध्य राज्य मे लागू आरक्षण प्रतिशतता के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं में किया जायेगा।

9– उक्त पैरा–2 से 8 तक में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग मे तैनात नियत्रक /मुख्य/वरिष्ठ /सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

क्रमशः 2

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007 –08 के आय–व्ययक क अनुदान सं0 30 के लेखा शीर्षक –2515–ग्राम्य विकास विभाग के लिए विशेष कार्यक्रम 102–सामुदायिक विकास–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–हाईड्रम परियोजना /टी.डी.ई.टी. हेतु राज्यांश –20 सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता से रू0 9,00,000 तथा अनुदान संख्या –31 के लेखा शीर्षक –2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –00—796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –01 हाईड्रम परियोजना /टी. डी.ई.टी. हेतु राज्यांश –00–20 सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता सं0 रू0 2,00,000 की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीस संख्या–696/वित्त अनुभाग –4/2007 दिनांक 07 फरवरी, 2007 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या 40 (1)/XI /08/56(66) 2003 तद्दिनाक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3– अनु सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट आफ लैण्ड रिसोंस भारत सरकार एन.बी.ओ. बिल्डिगं, जी.विगं निर्माण भवन नई दिल्ली।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तरांचल पौड़ी
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गढवाल परिमण्डल/अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
10. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनु–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव